राजस्व वाद 280/2021
जीसीएमएस नंबर– 2021/..................
मोहनराम बनाम् गोपालराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 280/2021

वादीगण–

1. मोहनराम पुत्र जेसाराम ,
   जाति जाट निवासीगण जानेवा पूर्व, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गोपालराम पुत्र जेसाराम
2. आशुराम पुत्र जेसाराम
3. सोनाराम पुत्र जेसाराम
4. सोहनी पुत्री जेसाराम
5. जेसाराम पुत्र टीकूराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–जानेवा पूर्व, तहसील–जायल।
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 22/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल में खेत खसरा नं. 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर, खसरा नंबर 52/217 रकबा 5.3257 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61/169 रकबा 4.4758 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2065 वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से च) अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी मोहनराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 61/169 रकबा 4.4758 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर में से 5.0060 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 आशाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर में से 5.0059 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 सोनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 52/217 रकबा 5.3257 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 सोहनी, जेसाराम व वादी मोहनराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पूर्व का खेत खसरा नंबर 61 रकबा 1.1331 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। खेत खसरा नंबर 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार रकबा 0.1295 हैक्टेयर राजहक में रास्ता रखा गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने दिनांक 06.12.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट जालनियासर में जरिये अधिवक्ता स्वंय उपस्थिति के साथ राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 स्वयं कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र मोहनराम पुत्र जेसाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम जानेवा पूर्व तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 69 प्रदर्श–1, नकल पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 06.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक

उपखण्ड अधिकारी कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 06.12.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा जानेवा पूर्व के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नं. 61/169 की भूमि को यथावत वादी मोहनराम, खसरा नंबर 52/217 यथावत प्रतिवादी संख्या 3 सोनाराम के हक बंट में तथा खसरा नंबर 61 यथावत प्रतिवादी संख्या 4 व 5 हक बंट में तथा शेष मुतदाविया खेत खसरा नंबर 11/168 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक बंट तथा रास्ते के रूप में भी हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नंबर 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 27.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 27.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2252 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी आसुराम, गोपालराम, जेसाराम,सोनाराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान सुन्दर पुत्र रामनिवास तथा भू.अभि.निरीक्षक कमेड़िया की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल में खेत खसरा नं. 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर, खसरा नंबर 52/217 रकबा 5.3257 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61/169 रकबा 4.4758 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को प्रतिवादी संख्या 5 जेसाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 280/2021
जीसीएमएस नंबर– 2021/..................
मोहनराम बनाम् गोपालराम वगैरह

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल में खेत खसरा नं. 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर, खसरा नंबर 52/217 रकबा 5.3257 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61/169 रकबा 4.4758 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को प्रतिवादी संख्या 5 जेसाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मोहनराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 61/169 रकबा 4.4758 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर में से 5.0060 हैक्टेयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 आशाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर में से 5.0059 हैक्टेयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 सोनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 52/217 रकबा 5.3257 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 सोहनी, जेसाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 61 रकबा 1.1331 हैक्टेयर पूरा रखा गया है व खेत खसरा नंबर 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार रकबा 0.1295 हैक्टेयर रखा गया है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

राजस्व वाद 280/2021
जीसीएमएस नंबर– 2021/..................
मोहनराम बनाम् गोपालराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 280/2021

वादीगण–

1. मोहनराम पुत्र जेसाराम , जाति–जाट, निवासीगण–जानेवा पूर्व, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गोपालराम पुत्र जेसाराम
2. आशुराम पुत्र जेसाराम
3. सोनाराम पुत्र जेसाराम
4. सोहनी पुत्री जेसाराम
5. जेसाराम पुत्र टीकूराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–जानेवा पूर्व, तहसील–जायल।
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 स्वंय उपस्थिति एवं अधिवक्ता रामप्रकाश बेंदा व प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल में खेत खसरा नं. 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर, खसरा नंबर 52/217 रकबा 5.3257 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61/169 रकबा 4.4758 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को प्रतिवादी संख्या 5 जेसाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मोहनराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 61/169 रकबा 4.4758 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर में से 5.0060 हैक्टेयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 आशाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर में से 5.0059 हैक्टेयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

4. प्रतिवादी संख्या 3 सोनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 52/217 रकबा 5.3257 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 सोहनी, जेसाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 61 रकबा 1.1331 हैक्टेयर पूरा रखा गया है व खेत खसरा नंबर 11/168 रकबा 10.1414 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार रकबा 0.1295 हैक्टेयर रखा गया है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)